प्रश्न - 9 कम्पनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए ? (200 शब्दों में)

उत्तर - 9 **कम्पनी अधिनियम 2013** :- यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जो कम्पनी के निर्माण, उसके उत्तरदायित्व, कम्पनी का विघटन, निदेशकों तथा उनकी समाप्ति, आदि का नियमन करती है। इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने 29 अगस्त 2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

नये कम्पनी अधिनियम, 2013 ने कम्पनी अधिनियम 1956 को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया है। नया अधिनियम, नये उद्यमियों को ज्यादा अवसर प्रदान करता है।

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इस अधिनियम के नियमों और विनियमों के प्रशासन से संबंधित मंत्रालय है।

BHOPAL
Established since:1990

⇒ **कम्पनी अधिनियम 2013 की विशेषतायें :-**

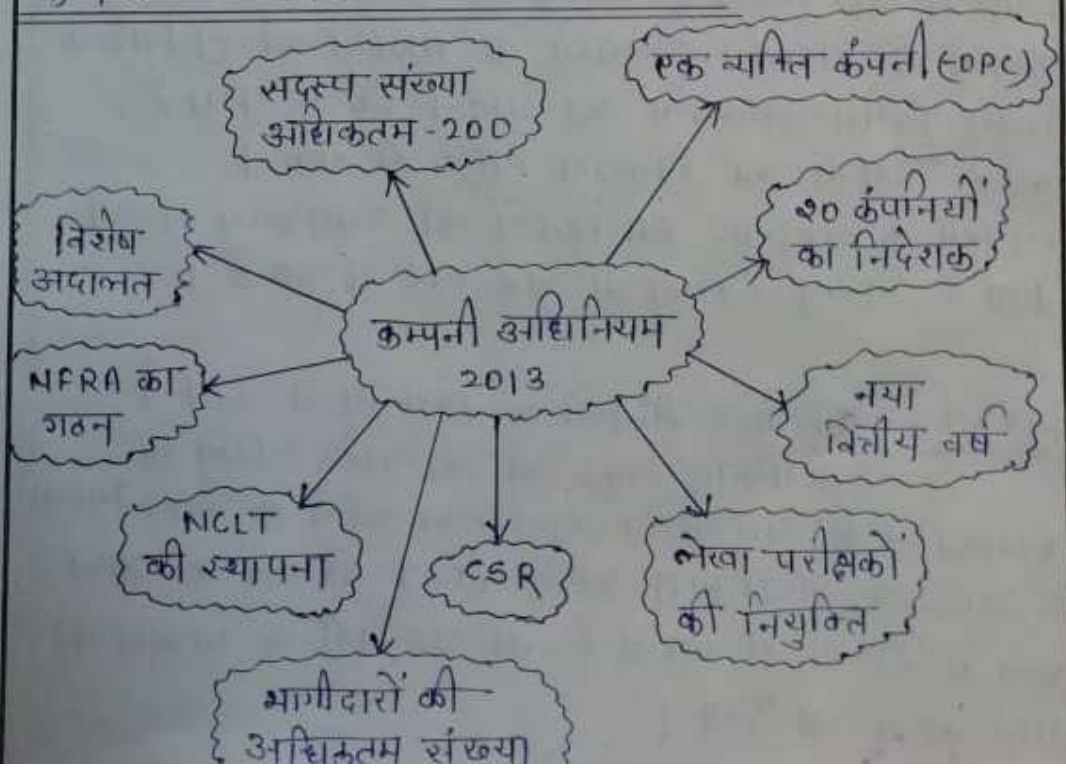

(1) कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार निजी कंपनियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 थी, किन्तु वर्तमान में यह 200 होगी।

(2) इस अधिनियम में एक नई शब्दावली 'एक व्यक्ति कंपनी' [धारा 2(62)] शामिल है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति न्यूनतम 1 लाख रू की पूंजी लगाकर अपनी कंपनी (OPC) शुरू कर सकता है।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम 20 कंपनियों का ही निदेशक हो सकता है, जिसमें 10 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की शामिल है।

(4) इस अधिनियम ने नये वित्तीय वर्ष को लागू किया, जिसके अनुसार कंपनियों को हर वर्ष 31 मार्च को अपना वित्तीय वर्ष समाप्त करना होगा।

(5) सूचीबद्ध कंपनियों को एक व्यक्तिगत लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की फर्म नियुक्त करने की सुविधा है।

(6) इस अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि कंपनियां अपने शुद्ध लाभ का 2% कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर खर्च करें।

(7) NCLT की स्थापना की गई।

(8) अधिनियम की धारा 132 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) का गठन किया जाना है।

(9) कम्पनी से संबंधित अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिये विशेष अदालतों का गठन किया गया है, ताकि मामलों का निपटारा शीघ्र हो सके।

(10) नियमों के अनुसार, शेयरधारकों की अधिकतम संख्या 100 है, परन्तु वर्तमान में यह संख्या 50 है।

BHOPAL Established since 1999

⇒ निष्कर्ष :- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कम्पनी अधिनियम 2013 को कॉरपोरेट जगत के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये बनाया है, यदि यह अधिनियम अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो यह देश के विकास की गति को बढ़ावा देगा।